

शैक्षिक समाचार  
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

# छात्र के नाम में परिवर्तन

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं

1. नाम परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।
2. जो छात्र बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ चुके हैं उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। वे अपनी समस्या का समाधान यदि चाहें, तो न्यायालय के माध्यम से करें।
3. छात्र के नाम में परिवर्तन करवाने के संबंध में समाचार पत्र में छाया/प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति
4. छात्र प्रवेश आवेदन पत्र या टी.सी. की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी भी स्थिति हो।
5. छात्र प्रवेश रजिस्टर (स्कॉलर रजिस्टर) की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि
6. छात्र के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति
7. छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति
8. परिवार राशन कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति
9. संबंधित संस्थाप्रधान की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है “विद्यालय अभिलेख के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी”
10. संबंधित संस्थाप्रधान की छात्र का नाम परिवर्तन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंसा कि “छात्र का नाम विद्यालय अभिलेख में परिवर्तन किया जाना उचित है”।

# छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन की प्रक्रिया

बोर्ड परीक्षा हेतु छात्रों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व

ऐसे प्रकरण जिनमें कोई लिपिकीय त्रुटि न हो तथा

जन्मतिथि परिवर्तन की मांग की गई हो

उक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे

1. नगरपालिका/निगम के जन्म रजिस्टर की प्रति जहां पर बच्चे की जन्मतिथि का अंकन नियत समय पर किया गया हो न कि बाद में— यहां उल्लेखनीय है कि नगरपालिका/नगर निगम के जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्मतिथि परिवर्तन करने हेतु पर्यात्त एंव विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।
2. ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री।
3. अत्यन्त पुराना व निःसन्देहात्मक ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य जो सिविल वाद की स्थिति में न्यायालय में भी मान्य होता है।
4. विद्यालय का सम्बन्धित अभिलेख जैसे मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जैसी भी स्थिति हो तथा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. जन्मतिथि में परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।
6. छात्र की जन्मतिथि में परिवर्तन करवाने के संबंध में समाचार पत्र में छाया/प्रकाशित सूचना संबंधी समाचार पत्र की मूल प्रति
7. छात्र प्रवेश आवेदन पत्र या टी.सी. की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी भी स्थिति हो।
8. छात्र प्रवेश रजिस्टर (स्कॉलर रजिस्टर) की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि
9. छात्र के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति
10. छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति
11. परिवार राशन कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति
12. संबंधित संस्थाप्रधान की जहां पर छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है “विद्यालय अभिलेख के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी”
13. संबंधित संस्थाप्रधान की छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन करने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनुशंशा कि “विद्यालय अभिलेख में छात्र की जन्मतिथि परिवर्तन किया जाना उचित है”।



(ii) संशोधन हेतु शुल्क नियमानुसार होगा –

छात्र/छात्रा के नाम/पिता/माता का नाम में वर्तनी एवं स्पेस संशोधन

दो वर्ष तक कोई शुल्क नहीं  
न्यूनतम ₹ 100/- छात्र की त्रुटि पाये जाने पर, तत्पश्चात् अतिरिक्त ₹ 50/- प्रतिवर्ष, अधिकतम ₹ 1000/-  
दो वर्ष तक कोई शुल्क नहीं  
न्यूनतम ₹ 100/- छात्र की त्रुटि पाये जाने पर, तत्पश्चात् अतिरिक्त ₹ 100/- प्रतिवर्ष, अधिकतम ₹ 2000/-

**विशेष नोट:**—1 परीक्षार्थी के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में वर्तनी अथवा संशोधन यदि माध्यमिक परीक्षा में कक्षा-8 के आधार पर, उच्च माध्यमिक परीक्षा में कक्षा-10 के आधार पर उसके अनुसार संशोधन चाहा गया है तो अधिकतम 2 वर्ष तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**A.** विद्यार्थी द्वारा अपने नाम, पिता/माता के नाम के साथ हरिजन/गिरीजन लगे उपनाम को हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 1990 के अनुसार दो साल के प्रतिबंध में छूट देते हुये बिना शुल्क लिये ऐसे मामले में हरिजन/गिरीजन उपनाम हटाया जा सकेगा।

**B.** परीक्षा समिति दिनांक 27–04–2013 के प्रस्ताव संख्या-9 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06–06–2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्रों में जाति श्रेणी (Cast Category) के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए।

(i) बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों में निशुल्क संशोधन हेतु दी गई अवधि पश्चात् जाति (Cast Category) में संशोधन नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियां (1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष वर्ग) में से परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्ति या अन्य लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा।

(iii) यदि परीक्षार्थी जाति की एक से अधिक श्रेणी से है तो उसमें से केवल एक श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्तियों या किसी अन्य लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा। उसे परीक्षा आवेदन पत्र में भरी गयी जाति श्रेणी में ही लाभ दिया जाएगा अन्य में नहीं।

**नोट :—** एक ही छात्र/छात्रा से सम्बन्धित अनेक संशोधन होने पर प्रत्येक संशोधन के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जायेगा।



**6.** यदि कोई नियमित छात्र/छात्रा अपनी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में संशोधन के लिये सम्बंधित जिला जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की बिना विलम्ब शुल्क की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर दे और उनकी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में सुधार संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक हो जाए।

**7.** यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होने के उपरान्त किसी सम्बंधी के गोद जाता हैं, तो कार्यालय के अभिलेख में उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बंधी का नाम शपथ पत्र अथवा अन्य किसी भी आधार पर नहीं बदला जायेगा।

**8.** नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में छात्र के नाम/उपनाम/पिता का नाम/उपनाम/माता का नाम/उपनाम तथा छात्र की जन्मतिथि एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात शपथ पत्रादि/गजट में प्रकाशन कर देने के आधार पर संशोधन नहीं किया जायेगा।

**9.** शाला प्रधान छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि प्रमाणित करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माह अप्रैल, जून, सितम्बर एवं नवम्बर में जो कि 30 दिन के होते हैं तथा फरवरी माह के अतिरिक्त शेष माह 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होता हैं या लीप ईयर का माह फरवरी 29 दिन का होता है, 30 दिन फरवरी माह के नहीं होते, इसका भली प्रकार ध्यान रखें। कई छात्रों के आवेदन पत्रों में उक्त माहों की तिथियां गलत दर्शायी जाती हैं।

**10.** कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक- परीक्षा- ॥/ई. एक्स/6/पात्रता 2851 दिनांक 30-05-2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र ₹ 2000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र ₹ 10,000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।

#### **6. मूल प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित) के सम्बंध में :-**

**1.** छात्रों को मूल प्रमाण पत्र वितरित करने से पूर्व प्रमाण पत्रों में अंकित, समस्त प्रविष्टियाँ मुख्यतः छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि की शाला अभिलेखों से भली प्रकार से जांच करा लें और यदि प्रमाण पत्रों में अंकित प्रविष्टियों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो पूर्ण जानकारी सहित मूल प्रमाण पत्र कार्यालय को संशोधनार्थ लौटा दें।

**2.** छात्रों को प्रमाण पत्र देने से पूर्व शाला अभिलेखों में प्रमाण पत्र वितरित किये छात्र का नाम, नामांक, वर्ष एवं परीक्षा तथा वितरित किये जाने की दिनांक का उल्लेख पृथक रूप से रजिस्टर में करें, तत्पश्चात प्रमाण पत्र के पिछले भाग पर वितरित करने की दिनांक हस्ताक्षर

अथवा पिता/माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेलिंग अथवा वर्तनी के सम्बंध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ प्रलेखों कक्षा-8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन-पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों एवं शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रतियाँ के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा।

**4.** नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् साधारणतः उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहां पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थ आवेदन पत्र अग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना-पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थ आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियाँ करने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो सम्बन्धित शाला के मूल रिकॉर्ड अथवा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना-पत्र व पूर्व शाला की टी.सी. मय फोटो प्रतियों के जो के शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जांच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि, छात्र/छात्रा के नाम, पिता के नाम अथवा प्रविष्टियों में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर ही किया जा सकेगा। रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां मान्य नहीं होगी। समय पर मूल रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण रिकॉर्ड सहित 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जाएगा।

**विशेष** – परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-10 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 से परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जन्मतिथि में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश ही स्वीकार किये जाएगे। इसके पश्चात् के आदेश स्वीकार नहीं किये जाएगे।

**(5) (i)** परीक्षार्थी के नाम/मध्यनाम/उपनाम में, पिता के नाम/मध्यनाम/उपनाम व माता के नाम/मध्यनाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं/पिता/माता के नाम/मध्यनाम/उपनाम की वर्तनी को सही कराना चाहे तो संशोधन हेतु प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ कक्षा-8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन-पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों सहित प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अथवा स्वयं के शपथ पत्र व शाला रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाये जाने पर निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तनी व स्पेस में संशोधन संबंधित विद्यार्थी के घोषणा पत्र तथा कोई शैक्षणिक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसके आधार पर किया जा सकेगा।

## 5. परीक्षार्थी के नाम, पिता, माता के नाम एवं जन्मतिथि के संशोधन के सम्बंध में :-

**1.** परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, यदि उससे सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रवेश परीक्षा में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सूचित किया जाए।

यदि अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अंकतालिका सहित प्रमाण पत्र में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो जारी करने से पूर्व जांच की जाए तथा पृष्ठांकन किया जाए। यदि संशोधन अपेक्षित हो तो बोर्ड कार्यालय से सम्पर्क करें।

**विशेष – (अ)** परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-3 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चिन्ह में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में ₹ 100/- प्रति प्रलेख शुल्क लिया जाएगा।

**(ब)** परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-4 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की समस्त परीक्षाओं से संबंधित जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में सर्वप्रथम छात्र का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके पश्चात् पिता का नाम अंकित किया जाएगा।

**2.** बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की जन्मतिथि, नाम/उपनाम अथवा पिता के नाम/उपनाम माता के नाम/उपनाम आदि में सम्बन्धित वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक संशोधन स्वीकार किये जाएंगे। इसके बाद के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा लेकिन बोर्ड कार्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की जाँच में त्रुटि रहने की पुष्टि होने पर दो वर्ष की अवधि के बाद भी संशोधन किया जा सकेगा।

**विशेष –** परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-5 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों से बोर्ड द्वारा निर्धारित संशोधन की अवधि के बाद परीक्षार्थियों के स्वयं के नाम/माता/पिता/उपनाम/फोटो एवं जन्म दिनांक आदि में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में बोर्ड नियमानुसार संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

**3.** परीक्षार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में



### 1.19 स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र जारी करने की प्रक्रिया

स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र छात्र / छात्रा द्वारा विद्यालय त्यागने का प्रमाण है। अतः जारी करने से पूर्व –

1. छात्र-छात्रा अथवा सरकार का आवेदन पत्र प्राप्त कर सत्था प्रधान आड्डा प्रदान करेगा।
2. निर्धारित शुल्क कक्षा 9 से 12 तक 5/- – रुपये जमा करना तथा रसीद देना।
3. टी.सी. जारी करने की तिथि तक की प्रविष्टियों रॉलर रजिस्टर में पूर्ण करना यह सुनिश्चित करना कि छात्र के सबप्रित रानी प्रमाण – पत्र प्राप्त ही भुक्त हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम का इन्डाज समाचार पत्र में प्रवारीत परिणामों के आधार पर नहीं करना चाहिए।
4. यह सुनिश्चित करे कि छात्र ने शुल्क अथवा विद्यालय से प्राप्त सामग्री जमा करा दी है।
5. लिपिक छात्र के स्कॉलर पृष्ठ की प्रति बनाएंगे जिसे सत्था प्रधान प्रमाणित करेंगे।
6. टी.सी. की द्वितीय प्रति 10/- – रुपये के रुपान्ध पर हलफनामे को प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। टी.सी. शुल्क 5/- – रुपये है।
7. छात्र के स्कॉलर पृष्ठ पर छात्र/छात्रा अथवा सरकार से प्राप्त रसीद लेकर टी.सी. दी जाए।
8. यदि छात्र दूसरे राज्य में अध्ययनार्थ टी.सी. ले रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराने का सुझाव दे।
9. टी.सी. जारी करने का रजिस्टर (टी.सी. इश्यु रजिस्टर) में प्रविष्ट करे एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर से नाम पृथक करे।
10. यदि टी.सी. सत्र के मध्य दी जाती है तो उस सत्र में छात्र से वसूल किए गये शुल्क का ब्लौच मय रसीद एवं शुल्क में छूट का आधार टी.सी. पर अकित करे।

### 1.20 जन्म तिथि परिवर्तन

सत्था में प्रदेश के रागय आवेदन पत्र में घोषित जन्म तिथि का उल्लेख स्कॉलर रजिस्टर में किया जायेगा। पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण से जन्म तिथि का सत्यापन किया जायेगा। जन्म तिथि में परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया हेतु छात्र के माता पिता आवेदन करे तो प्रकरण में रुपार किया जा सकेगा।

### 1.21 जन्म तिथि परिवर्तन के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अनुष्ठित किए जाने के पूर्व निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए।

1. छात्र अध्यनरत हो।
2. माता पिता / अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण – पत्र संलग्न होने चाहिए।
  1. प्रथम प्रवेश के आवेदन पत्र की प्रति।
  2. याम पंचायत / नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण – पत्र की प्रति।
  3. माता – पिता का शपथ पत्र जिसमें जीवित व मृत सलानों की जन्म तिथि का भी उल्लेख हो।
  4. दो पढ़ोसियों / रिसेप्टरों के शपथ पत्र।
  5. जन्म तिथि जन्म कुण्डली।
  6. अध्यनरत विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर पृष्ठ की प्रति, पूर्व विद्यालय के टी.सी. की प्रति, प्रदेश आवेदन की प्रति।

3. अधेष्ठित करने वाले संस्था प्रधान की टिप्पणी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) को भेजे जायें। प्रकरण की जांच कर वस्तु स्थिति से संतुष्ट होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जन्म तिथि परिवर्तन के आदेश की प्रति स्कॉलर रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ पर चिपकाई जाएंगी आदेश संख्या, दिनांक स्कॉलर पृष्ठ पर लिखकर संशोधन अंकित किया जाए एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाए।

1.22

### नाम / उपनाम परिवर्तन

1. छात्र के पिता के नाम में परिवर्तन के प्रकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं होंगे।
2. केवल अध्ययनरत छात्र-छात्रा के प्रकरण ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
3. छात्र-छात्रा अथवा अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न हो –
  1. अधिकृत न्यायालय का मूल प्रमाण-पत्र / शपथ पत्र जिसमें छात्र, पिता का नाम, वर्तमान शाला एवं कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं, प्रमाणित हो।
  2. मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र (राज्य स्तर के) में प्रकाशित विज्ञापन।
  3. अभिभावक से लिखित घोषणा की छात्र के नाम परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए इह उत्तरदायी होगा।
  4. प्रवेश आवेदन-पत्र की प्रति।
  5. पूर्व विद्यालय का टी.सी.।
  6. छात्र से सम्बन्धित स्कॉलर की प्रतिलिपि।
  7. संस्था प्रधान की टिप्पणी।
  8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरण की जांच करेंगे व संतुष्ट होने पर आदेश जारी करेंगे।
  9. संस्था प्रधान आदेश संख्या दिनांक अंकित कर नाम / उपनाम में संशोधन करेंगे एवं प्रमाणित करेंगे।

1.23

### बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्रों को अधेष्ठित करने के पश्चात जन्म तिथि नाम उपनाम में संशोधन की प्रक्रिया। (मा.शि.बो. के नियमानुसार)

1. साधारणतः बोर्ड कार्यालय के अभिलेखों में जन्म-तिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम, उपनाम एक शाला पंजीकृत हो जाने के पश्चात् संशोधन रवीकार नहीं किया जाएगा।
2. यदि छात्र के प्रवेश आवेदन पत्र से स्कॉलर रजिस्टर में अथवा स्कॉलर रजिस्टर से परीक्षा आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ करने में कोई अन्तर रह गया है तो अग्रेषण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय का नूतन रिकॉर्ड जांच करने हेतु बोर्ड कार्यालय में भेजने पर ही संशोधन करने पर विचार किया जा सकेगा।
3. जन्म तिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम, उपनाम प्रत्येक संशोधन हेतु बोर्ड नियमानुसार पृथक-पृथक् संशोधन शुल्क प्रस्तुत करने पर कार्यवाही होगी।
4. वर्तनी अशुद्धि को संशोधन करवाने हेतु सम्बन्धित शाला द्वारा प्रमाणीकरण करा कर बोर्ड नियमानुसार शुल्क भेजने पर कार्यवाही की जा सकेगी।
5. उपर्युक्त संशोधन हेतु पाँच वर्ष के पूर्व के मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र किसी सम्बन्धी के गोद जाता है तो उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बन्धी का नाम किसी आधार पर नहीं बदला जायेगा।